न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
020/2020(रसद) (GCMS 2020/00306)	14.08.2020	19.03.2024

अनवान

अखिलेश बारेगामा पिता रामकिशन बारेगामा उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 06, रेल्वे स्टेशन बुद्धा खेडा कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– बीएल वैष्णव — अपीलार्थी
हितेश जोशी — पैरोकार सरकार

अपील विरूद्ध निर्णय श्रीमती बीजल सुराणा, जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 19.05.2020 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान वार्ड नंबर 02 नगरपालिका कपासन में स्थित है जिसके प्राधिकार क्रमांक 39/03 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त करने का निर्णय पारित यिका गया जो विधि, तथ्यों एवं वाक्य सादत के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2020 को लॉकडाउन होने से अपीलांट अनुपस्थित रहा तथा दिनांक 18.05.2020 को अपीलांट के बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णय पारित करना बताया है जबकि निर्णय दिनांक 19.05.2020 को लिखाया गया है जो बिना साक्ष्य लिये एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया जो विधि और तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट की किसने शिकायत की इसका उल्लेख निर्णय में कही भी नहीं किया गया है, केवल मात्र राजनैतिक व्यक्तियों की द्वैषतावश झूठी भ्रमित शिकायत के आधार पर बिना जांच किये ही तथा उपभोक्ताओं के बिना बयान लिये हुए ही प्राधिकार पत्र निरस्त करने में भारी भूल की है जो विधि विपरित होने से निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थी के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा दिनांक 01.02.2020 को उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करने में जो कमिया दर्शाई गई जो इस प्रकार है। उचित मूल्य दुकान में 8432 किलोग्राम गेंहूँ कम पाये गये। माह जनवरी 2020 में 275 किलोग्राम गेहूँ का ही वितरण किया गया जिसमें उपभोक्ता जनवरी माह में रसद सामग्री प्राप्त करने से वंचित रह गया। आदेश क्रमांक रसद/विधि/20202334 दिनांक 07.01.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकान ग्राम सेवा सहकारी समिति मुंगाणा के प्राधिकारी पत्र पुनः बहाल करते हुए स्टॉक स्थानान्तरण किया जाना था जिसकी पालना आज दिनांक तक नहीं की गई। जांच में पाया गया है कि उपभोक्ता को 01 माह छोडकर रसद सामग्री वितरण करना पाया गया इस प्रकार की आधारहीन रिपोर्ट बनाकर जांच अधिकारी ने अपने मन मुताबिक फर्द मौका बनाया जो मन मुताबिक बनाकर पेश किया गया है जो विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने उक्त फर्द मौका का जवाब दिनांक 20.03.2020 को पेश किया गया जिसमें 8432 किलोग्राम गेहूँ जीएसएस मुंगाणा जो अस्थाई दुकान पर पडे हुए है, उनका मौके पर चलकर निरीक्षण करने का निवेदन किया लेकिन निरीक्षण नहीं किया क्योंकि अपीलांट के पास जीएसएस मुंगाणा अस्थाई दुकान पर सम्पूर्ण गेंहू का स्टॉक उपलब्ध था लेकिन जांच अधिकारी ने उक्त जांच नहीं करके अपने मन मुताबिक फर्द मौका बनाकर प्रत्यर्थी के यहां गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी ने बिना गौर किये ही निर्णय पारित करने की भूल की है। दिनांक 11.02.2020 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निलम्बन का आदेश जारी किया जो सोहनलाल खटीक की दुकान वार्ड नंबर 8 व 10 नगरपालिका कपासन के प्राधिकार को सुपुर्द किया गया जिसमें अपीलांट द्वारा चार्ज दिया गया उसमें सम्पूर्ण गेंहू को सुपुर्द किया गया इस और भी अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी ने ध्यान नहीं देकर अपीलांट का प्राधिकार निलम्बन करने में भारी भूल की है। अपीलांट द्वारा माह जनवरी 2020 में 275 किलोग्राम गेंहू का वितरण किया जिससे उपभोक्ता को रसद सामग्री लेने से वंचित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा उस समय पोस मशीन 24021 की जगह अस्थाई व्यवस्था मुंगाना जीएसएस की मशीन नंबर 28828 से गेंहू का वितरण किया गया एवं किसी भी उपभोक्ता को राशन सामग्री कम नहीं दी गई है, बराबर वितरण किया गया है इस और भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। ग्राम सेवा सहकारी समिति प्राधिकार निलम्बन को बहान किया जिसकी प्रतिलिपि व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई फिर भी अपीलांट द्वारा स्टॉक सुपुर्द कर रसदी प्राप्त की थी जो सम्पूर्ण स्टॉक जीएसएस मुंगाणा को सुपुर्द कर दिया गया था। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। दिनांक 07.01.2020 को मुंगाणा जीएसएस का उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया गया तथा निरीक्षण को निरीक्षणकर्ता ने अपीलांट को यह नहीं बताया कि मुंगाणा जीएसएस को बहाल कर दिया गया है तथा अपकी दुकान का जो गेंहू मुंगाणा जीएसएस में पडा हुआ है उसका भी मुझे निरीक्षण कराया जावें तथा अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा बार–बार निवेदन करने पर भी निरीक्षणकर्ता ने मुंगाणा जीएसएस का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। राज्य सरकार द्वारा अगर किसी का प्राधिकार पत्र निलम्बन किया जाता है तो चार्ज हस्तान्तरण की प्रवर्तक निरीक्षक की जिम्मेदारी होती है कि संबंधित उचित मूल्य के दुकानदार को चार्ज हस्तान्तरित करवाये तथा हस्तान्तरण का लेखा–जोखा किया जावे जो नहीं किया गया। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। अपीलांट ने विभाग द्वारा मुंगाणा जीएसएस का चार्ज देने का नोटिस नहीं दिया गया तो भी अपीलांट ने मुंगाणा जीएसएस के व्यवस्थापक को चार्ज दिया गया जिसमें भी सम्पूर्ण सामग्री मय पोस मशीन सुपुर्द की तथा जो कमी बताई गई उसका भी मुंगाणा जीएसएस द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया गया है। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। अपीलांट का प्राधिकार पत्र का निलम्बन होने पर अन्य प्राधिकार पत्र धारक सोहनलाल को सम्पूर्ण सामग्री पय पोस मशीन के सुपुर्द कर दी थी। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। अपीलांट की दुकानवार्ड नंबर 02 नगरपालिका कपासन में स्थित है उसकी किसी भी उपभोक्ता ने आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं की है, इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। गवाह नरेन्द्र कुमार पिता पूनमचंद, भानु पिता हसनलाल, कैलाशचन्द्र पिता नर्बदाशंकर, सुनील कुमार सेठ पिता मांगीलाल गवाहान जो सभी वार्ड संख्या 10 के निवासी होकर सोहनलाल खटीक राशन डीलर राशन सामग्री वितरण की जा रही है एवं पूर्ण पार्षद द्वारा भी शिकायत अपीलांट की और नहीं की गई है। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। अपीलांट की राशन की दुकान पर कभी जांचकर्ता आये ही नहीं और न ही कोई जांच की तथा मन मुताबिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो राजनैतिक दबाव में प्रस्तुत की इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.05.2020 को पारित किया गया निर्णय की जानकारी शुरू प्रथम दिनांक 29.07.2020 को हुई जिस पर अपीलांट ने अधिवक्ता नियुक्त कर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 07.08.2020 को शाम 06.00 बजे नकल प्राप्त की उसके पश्चात् अवकाश होने से व दिनांक 10.08.2020 को बीमार हो जाने से बिना किसी देरी के अपील पेश है फिर भी कानूनी अडचनों से बचने के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से मय शपथ–पत्र पेश है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपीलांट की और से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2020 को अपास्त किया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 039/2003 बहाल फरमाया जावें।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

और से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/रसद/विधि./2020/1294 दिनांक 15.09.2020 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 029/2020 निर्णय दिनांक 19.05.2020 अनवानी सरकार बनाम अखिलेश प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 05.03.2024 को पैरोकार सरकार ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया।

इस पर सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि निर्णय दिनांक 19.05.2024 की कोई जानकारी अपीलांट को नहीं रही है, शुरू प्रथम दिनांक 29.07.2020 को हुई जिस पर अपीलांट ने अधिवक्ता नियुक्त कर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 07.08.2020 को शाम 06.00 बजे नकल प्राप्त की उसके पश्चात् अवकाश होने से व दिनांक 10.08.2020 को बीमार हो जाने से बिना किसी देरी के अपील पेश है। अपीलांट की सद्भाविक एवं परिस्थितिजन्य रही है, अपीलांट प्रकरण में विचारणीय बिन्दु न्यायिक तार्किक एवं बहुमूल्य अधिकारों से संबंधित है जिनका मयाद के तकनिकी बिन्दु पर न्याय से अपीलांट को वंचित कर निर्णित किया जाना न्याय संगत नहीं है जिससे समस्त देरी को कंडोन किया जाकर अपील दर्ज फरमा गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

इस पर विद्वान पैरोकार ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा तथा निर्णय दिनांक 19.05.2020 अपीलांट की उपस्थिति में पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट ने अपीलांट का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला रसद अधिकारी, नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, अतः अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद अवधि शुमार की जाती है।

इस के पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2020 को लॉकडाउन होने से अपीलांट अनुपस्थित रहा तथा दिनांक 18.05.2020 को अपीलांट के बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णय पारित करना बताया है जबकि निर्णय दिनांक 19.05.2020 को लिखाया गया है जो बिना साक्ष्य लिये एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया जो विधि और तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट की किसने शिकायत की इसका उल्लेख निर्णय में कही भी नहीं किया गया है, केवल मात्र राजनैतिक व्यक्तियों की द्वैषतावश झूठी भ्रमित शिकायत के आधार पर बिना जांच किये ही तथा उपभोक्ताओं के बिना बयान लिये हुए ही प्राधिकार पत्र निरस्त करने में भारी भूल की है जो विधि विपरित होने से निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थी के अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा दिनांक 01.02.2020 को उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करने में जो कमिया दर्शाई गई जो इस प्रकार है। उचित मूल्य दुकान में 8432 किलोग्राम गेंहूॅ कम पाये गये। माह जनवरी 2020 में 275 किलोग्राम गेहूॅ का ही वितरण किया गया जिसमें उपभोक्ता जनवरी माह में रसद सामग्री प्राप्त करने से वंचित रह गया। आदेश क्रमांक रसद/विधि/20202334 दिनांक 07.01.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकान ग्राम सेवा सहकारी समिति मुंगाणा के प्राधिकारी पत्र पुनः बहाल करते हुए स्टॉक स्थानान्तरण किया जाना था जिसकी पालना आज दिनांक तक नहीं की गई। जांच में पाया गया है कि उपभोक्ता को 01 माह छोडकर रसद सामग्री वितरण करना पाया गया इस प्रकार की आधारहीन रिपोर्ट बनाकर जांच अधिकारी ने अपने मन मुताबिक फर्द मौका बनाया जो मन मुताबिक बनाकर पेश किया गया है जो विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने उक्त फर्द मौका का जवाब दिनांक 20.03.2020 को पेश किया गया जिसमें 8432 किलोग्राम गेहूॅ जीएसएस मुंगाणा जो अस्थाई दुकान पर पडे हुए है, उनका मौके पर चलकर निरीक्षण करने का निवेदन किया लेकिन निरीक्षण नहीं किया क्योंकि अपीलांट के पास जीएसएस मुंगाणा अस्थाई दुकान पर सम्पूर्ण गेंहू का स्टॉक उपलब्ध था लेकिन जांच अधिकारी ने उक्त जांच नहीं करके अपने मन मुताबिक फर्द मौका बनाकर प्रत्यर्थी के यहां गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी ने बिना गौर किये ही निर्णय पारित करने की भूल की है। दिनांक 11.02.2020 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निलम्बन का आदेश जारी किया जो सोहनलाल खटीक की दुकान वार्ड नंबर 8 व 10 नगरपालिका कपासन के प्राधिकार को सुपुर्द किया गया जिसमें अपीलांट द्वारा चार्ज दिया गया उसमें सम्पूर्ण गेंहू को सुपुर्द किया गया इस और भी अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी ने ध्यान नहीं देकर अपीलांट का प्राधिकार निलम्बन करने में भारी भूल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की है। अपीलांट द्वारा माह जनवरी 2020 में 275 किलोग्राम गेंहू का वितरण किया जिससे उपभोक्ता को रसद सामग्री लेने से वंचित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा उस समय पोस मशीन 24021 की जगह अस्थाई व्यवस्था मुंगाना जीएसएस की मशीन नंबर 28828 से गेंहू का वितरण किया गया एवं किसी भी उपभोक्ता को राशन सामग्री कम नहीं दी गई है, बराबर वितरण किया गया है इस और भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। ग्राम सेवा सहकारी समिति प्राधिकार निलम्बन को बहान किया जिसकी प्रतिलिपि व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई फिर भी अपीलांट द्वारा स्टॉक सुपुर्द कर रसदी प्राप्त की थी जो सम्पूर्ण स्टॉक जीएसएस मुंगाणा को सुपुर्द कर दिया गया था। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। दिनांक 07.01.2020 को मुंगाणा जीएसएस का उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया गया तथा निरीक्षण को निरीक्षणकर्ता ने अपीलांट को यह नहीं बताया कि मुंगाणा जीएसएस को बहाल कर दिया गया है तथा अपकी दुकान का जो गेंहू मुंगाणा जीएसएस में पडा हुआ है उसका भी मुझे निरीक्षण कराया जावें तथा अपीलांट द्वारा बार–बार निवेदन करने पर भी निरीक्षणकर्ता ने मुंगाणा जीएसएस का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। राज्य सरकार द्वारा अगर किसी का प्राधिकार पत्र निलम्बन किया जाता है तो चार्ज हस्तान्तरण की प्रवर्तक निरीक्षक की जिम्मेदारी होती है कि संबंधित उचित मूल्य के दुकानदार को चार्ज हस्तान्तरित करवाये तथा हस्तान्तरण का लेखा–जोखा किया जावे जो नहीं किया गया। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। अपीलांट ने विभाग द्वारा मुंगाणा जीएसएस का चार्ज देने का नोटिस नहीं दिया गया तो भी अपीलांट ने मुंगाणा जीएसएस के व्यवस्थापक को चार्ज दिया गया जिसमें भी सम्पूर्ण सामग्री मय पोस मशीन सुपुर्द की तथा जो कमी बताई गई उसका भी मुंगाणा जीएसएस द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया गया है। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। अपीलांट का प्राधिकार पत्र का निलम्बन होने पर अन्य प्राधिकार पत्र धारक सोहनलाल को सम्पूर्ण सामग्री पय पोस मशीन के सुपुर्द कर दी थी। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। अपीलांट की दुकानवार्ड नंबर 02 नगरपालिका कपासन में स्थित है उसकी किसी भी उपभोक्ता ने आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं की है, इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। गवाह नरेन्द्र कुमार पिता पूनमचंद, भानु पिता हसनलाल, कैलाशचन्द्र पिता नर्बदाशंकर, सुनील कुमार सेठ पिता मांगीलाल गवाहान जो सभी वार्ड संख्या 10 के निवासी होकर सोहनलाल खटीक राशन डीलर राशन सामग्री वितरण की जा रही है एवं पूर्ण पार्षद द्वारा भी शिकायत अपीलांट की और नहीं की गई है। इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई। अपीलांट की राशन की दुकान पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कभी जांचकर्ता आये ही नहीं और न ही कोई जांच की तथा मन मुताबिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो राजनैतिक दबाव में प्रस्तुत की इस और भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर प्राधिकार निलम्बन करने में भूल की गई।

इस पर पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का दृष्टिपात कराया एवं बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर ही विस्तृत जांच की गई जिसमें प्रतर्वन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 01.02.2020 में वर्णित तथ्यों के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिसमें उचित मुल्य दुकान में 8432 किलोग्राम गेहू कम पाया गया। माह जनवरी 2020 में मात्र 275 किलोग्राम गेंहू का वितरण किया गया, तथा उचित मूल्य दुकान जीएसएस मुंगाणा का प्राधिकार पत्र पुनः बहान करते हुए स्टॉक हस्तान्तरण किया जाना जिसकी पालना नहीं की गई प्रतिवेदित किया गया। इसी आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके साथ ही शिकायत के तौर उपभोक्तागण द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त गम्भीर अनियमितता के कारण जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति जब्त करने के आदेश दिये गये है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि स्वयं जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जावेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। अपीलार्थी ने खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी प्रावधान, अनुच्छेद का या प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की गयी। अपीलार्थी का ऐसा कोई कृत्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नही है कि अपीलार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य किया हो या कोई अपराध किया हो, प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि भी नही की अनजाने मे प्रकिया सम्बन्धि प्रथम त्रुटि भी मानी जाती तो भी उसके लिये प्रताडना के साथ प्राधिकार पत्र को जारी रखने का अवसर न्यायहित में दिया जाना था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय देना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय का पूर्वाग्रह इससे भी प्रकट है। अतः प्रार्थना है कि अपीलांट की और से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2020 को अपास्त किया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 039/2003 बहाल फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। प्रवर्तन अधिकारी कपासन की रिपोर्ट दिनांक 01.02.2020 के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा अनियमितताऐ कर तथा उपभोक्ताओं को अवैध वितरण करवाने हेतु गलत तरीके से अंगूठे लगावाया गया है, उक्त समस्त कार्यवाही की विस्तृत जांच गठित टीम द्वारा की गई है, एवं जांच हेतु गठित टीम द्वारा अपीलार्थी द्वारा अनियमितता कारित किया जाना जाहिर किया गया। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को उठाया गया है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख से यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है एवं अपीलाधीन निर्णय अपीलार्थी की उपस्थिति में पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त का उल्लंघन है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन के कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति जब्त करने के दिये गये आदेश में किसी प्रकार के संशोधन हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होकर बलहीन है जिससे अपील अपीलार्थी खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण अपील(रसद) अपीलार्थी सारहीन होकर बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 029/2020 अनवानी सरकार बनाम अखिलेश में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.03.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official